SDRF से विकलनीय

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश संख्या–04 / प्रा॰आ॰(कपड़ा–बर्तन)–05 / 2024-**223(स्वी॰)** / आ०प्र०, राँची दिनांक–**24.11.2025**

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा, *भा०प्र०से०*
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड।

विषय – वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा– बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित एवं सुखाड़ छोड़कर) से प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण के निमित्त राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल राशि 30,00,000 / – (तीस लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश – स्वीकृत।

2. उक्त स्वीकृत राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–338 / बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :–

बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि (रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात आदि लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत उप शीर्ष–04–प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान 49–आर्थिक सहायता विपत्र कोड–39–S-2245–02–101–04–00–06–49	30,00,000 / – (तीस लाख) रुपये मात्र

3. यह स्वीकृति राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक–13.10.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय–03(II) आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त निर्णय निम्नवत् है :–

"दिनांक–21.05.2025 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्राकृतिक आपदा – बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित एवं सुखाड़ छोड़कर) से प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण के निमित्त जिलों को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कुल **70,00,000 / – (सत्तर लाख)** रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त मद में अतिरिक्त **30,00,000 / – (तीस लाख)** रुपये की राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिसके आलोक में समिति द्वारा **30,00,000 / – (तीस लाख)** रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई। राशि का आवंटन संबंधित जिलों को आवश्यकता के अनुरूप दिया जायेगा।

इस प्रकार उक्त मद में कुल 1,00,00,000 / – (एक करोड़) रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यशीर्ष–2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष–04–प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 49–आर्थिक सहायता (विपत्र कोड–39-S-2245-02-101-04-00-06-49) में 2,50,00,000 / – (दो करोड़ पचास लाख) रुपये की राशि उपबंधित है।"

4. इस स्वीकृत राशि से जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में आवश्यकतानुसार आवंटन प्रदान किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि से भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदा – बाढ़, चक्रवात आदि (अग्निकाण्ड सहित एवं सुखाड़ छोड़कर) से क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-03/2020-NDM-I दिनांक–11.07.2023 द्वारा निर्गत Items और Norms of assistance का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान की जायेगी।

6. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-03/2021-NDM-I दिनांक–12.01.2022 में अंकित प्राकृतिक आपदा–Cyclone, Earthquake, Fire, Flood, Tsunami, Hailstorm, Landslide, Avalanche, Cloud Burst, Pest Attack and Frost & Cold Wave (सुखाड़ छोड़कर) से क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुकवार स्वीकृत की जायेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत निकासी की जायेगी।

8. सभी भुगतान पीड़ितों के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में किसी को नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मानकों एवं मद–मानदण्ड के अनुरूप अनुग्रह अनुदान की राशि स्वीकृत की जायेगी।

10. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद एवं मानदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है।

11. स्वीकृत राशि के व्यय हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। कोषागार से राशि की निकासी कर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।

12. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरणी विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वर्षांत के पूर्व ऑन–लाईन करने का दायित्व उपायुक्त–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

13. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–33–06 / 2015–NDM-I, दिनांक–06.05.2015 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार व्यय का मासिक विवरण प्रभाग को उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

14. (i) उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

(ii) व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19–A में उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

(iv) महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(v) उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार स्थल निरीक्षण कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक आश्रितों को ही हो रहा है। साथ ही आश्वस्त हो लेंगे कि अनुग्रह अनुदान भुगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा प्रभाग को देंगे।

16. स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में :–

(i) वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों एवं संकल्पों का अक्षरशः पालन किया जाय।

(ii) Treasury Code, वित्तीय नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय–समय पर तत्संबंधित निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. (i) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

18. दिनांक–13.10.2025 को मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

24/11/25

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–04/प्रा॰आ॰(कपड़ा–बर्तन)–05/2024-**223(स्वी॰)**/आ०प्र०, राँची दिनांक–**24.11.2025**

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सचिव कोषांग, आपदा प्रबंधन प्रभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–04/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/2025

सरकार के सचिव।

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1682

पत्रांक संख्या :- 223(SWI)

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 24/11/2025

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा
सचिव

टी॰ए॰ डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची झारखण्ड-834004

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा- बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित एवं सुखाड़ छोड़कर) से प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण के निमित्त राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल राशि 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के, राज्य
मुख्यशीर्ष - 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
उपमुख्य शीर्ष - 02-बाढ़, चक्रवात आदि

स्थापना व्यय

लघुशीर्ष	राशि
101-आनुग्रहिक राहत	☐30,00,000.00
कुलराशि :-	**☐30,00,000.00**

49.37.74.220

Run Date: 24/11/2025

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
39S224502101040649	04 - प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	49 - आर्थिक सहायता	

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

24/11/25

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से